न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/289/2016

उनवान

1. गोपाल पिता भॅवर लाल मण्डोवरा निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. रामनिवास पिता भॅवर लाल मण्डोवरा निवासी हमीरगढ
3. जगदीश पिता चुन्नी लाल मण्डोवरा निवासी हमीरगढ
4. शांति लाल मण्डोवर (मृतक के बजाय कायम मुकाम)
   4/1 विनोद कुमार पिता स्व0 शांतिलाल मण्डोवरा
   4/2 कैलाश पिता स्व0 शांतिलाल मण्डोवरा
   4/3 अरविंद कुमार पिता स्व0 शांतिलाल मण्डोवरा
   4/4 श्रीमति सुशीलादेवी बेवा स्व0 शांतिलाल मण्डोवरा समस्त निवासियान हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ, जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण
संख्या 42/2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.6.2016

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री एच डी वर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2 TA/289/ गोपाल बनाम सरकार

निर्णय

दिनांक 17.7.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी लोक सेवक होकर राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार भीलवाडा के पद पर पदासीन होकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 7 नियम 1 के अन्तर्गत वाद निम्न प्रकार से प्रस्तुत करता हैः—

यह कि वाके ग्राम हमीरगढ तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी खसरा नम्बर 2138 , 2140, 2141, 2142, 2143, किता 5 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा लगानी 58 रू0 30 पैसे संवत 20261 से 2064 खाता नम्बर 76 कबीरद्वारा स्थान देह अभिलिखित होकर मंदिर मूर्ति की भूमि है। उक्त आराजियात जो कि मंदिर मूर्ति देवस्थान की होकर कानून में मूर्ति को शास्वत नाबालिग माना गया है । उस पर प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.12.2008 को बलपूर्वक वैध प्राधिकार के कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया जो विधि विरूद्ध है। काश्तकारी अधिनियम 1955 में अंकित प्रावधानों के अनुसार मंदिर मूर्ति देवस्थान को अवयस्क माना गया है और अवयस्क के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है इस प्रकार प्रतिवादीगण मंदिर मूर्ति देवस्थान अवयस्क की भूमि पर विधि के विरूद्ध अतिक्रमण कर लिया है। जो हटाया जाकर कब्जा वादी/प्रार्थी/मंदिर के ट्रस्टी/व्यवस्थापक को सुपुर्द करया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण द्वारा मंदिर मूर्ति पर अतिक्रमण करने की जानकारी हल्का पटवारी हमीरगढ द्वारा दिनांक 15.12.2008 को मौके पर जाकर तहकीकात करने पर हुई जिससे यह

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वाद हेतुक व तारीख जानकारी के अनुसार वाद पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि वाके ग्राम हमीरगढ तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा में स्थित आराजी खसरा वाके ग्राम हमीरगढ तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी खसरा नम्बर 2138 , 2140, 2141, 2142, 2143, किता 5 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा लगानी 58 रूपये 30पैसे पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखल करा कब्जा वादी/प्रार्थी/मंदिर मूर्ति ट्रस्टी/व्यवस्थापक को सुपुर्द कराने के आदेश प्रदान कराये जावें तथा प्रतिवर्ष भूमि से होने वाली आय का नियमानुसार प्रतिवादीगण से राशि वसूल करा वादी/प्रार्थी/मंदिर मूर्ति ट्रस्टी/व्यवस्थापक को भुगतान कराया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी । दिनांक 30.6.2016 को अपीलार्थीगण केम्प कोर्ट हमीरगढ प्रशासन गांवों के संग में गये थे, सायंकाल तक बैठे रहे उसके उपरान्त पीठासीन अधिकारी ने कहा कि तुम्हारी पेशी वापिस कोर्ट में पडेगी । जिस पर अपीलार्थीगण वापिस आ गये तथा कोर्ट से जानकारी की तो तारीख पेशी दिनांक 13.7.2016 की पेशी रजिस्टर में दे रखी थी। तथा दिनांक 13.7.2016 की सारी पेशियॉ दिनों 19.10.2016 को दी गई। दिनांक 19.10.2016 को पत्रावली की जानकारी की तो पत्रावली पेशी में नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निकली । फैसल रजिस्टर को देखा तो उसमें भी दर्ज नहीं थी। सारी फैसल पत्रावलियों को देखा तो उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अपीलाधीन निर्णय की नकल लेने हेतु आवेदन किया एवं नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि हाल आराजी नम्बर 2138 , 2140, 2141, 2142, 2143 के साबिक आराजी नम्बर 1321, 1323,1324, 1325 व 1326 थे जिसको तत्कालीन खातेदार लाला गुर्जर से अपीलार्थीगण ने खरीद कर कब्जा प्रांप्त किया तथा संवत 2008 की जमाबंदी में अपीलार्थीगण के नाम खाते में दर्ज हो गई तथा संवत 1992 में तत्कालीन ठिकाना से पट्टा प्राप्त कर कब्जा प्राप्त किया जो किसी भी तरह से बेदखल के काबिल नहीं है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने एक राजस्व वाद सन् 2006 में उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा में पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 201/2006 पडे। जो वाद पत्र तनकियात हेतु नियत होकर इसी कोर्ट में विचाराधीन है। जिस पर गौर नहीं कर केवल मात्र कैम्प में फैसल पत्रावलियों का रेकार्ड बनाने के लिए बिना रेस्पोडेण्ट को सुनवाई का अवसर दिये रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी मृतक शांति लाल के कायम मुकाम रेकार्ड पर लिये जाने हेतु पत्रावली चल रही थी जिस पर भी गौर नहीं कर मृतक के खिलाफ ही दावा डिक्री कर दिया जो कतई चलने योग्य नहीं होकर निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण को न तो कैम्प में बुलाया गया एवं न

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ही सुनवाई का ही समुचित अवसर प्रदान किया गया । पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा भी नहीं हुआ फिर भी मनमकसूद तरीके से मंदिर की भूमि मानकर दावा डिक्री कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने पहले दवा पेश कर रखा था जिसमें पक्षकारान के हित तय होने थे कोर्ट को अगर निर्णय करना ही था तो इस दावे को पुराने दावे के साथ संयोजित या संकलित कर पहले पुराने दावे में निर्णय किया जाता फिर इस दावे में निर्णय किया जाता । दावा न तो बहस में था, न राजीनामा हुआ था मृतक के खिलाफ कार्यवाही करनी थी जो नहीं कर मोगम आधारों पर निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो काबिल ए अपास्तगी है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दावे में जवाब दावा पेश कर रखा था जिस पर तनकियात कायम होकन मृतक के कायम मुकाम तय होकर शहादत लेकर निर्णय होना था ऐसा नहीं कर विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

10. प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा साथ ही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. प्रत्यर्थी/वादी ने अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया था। वादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के अवैध अतिक्रमण को हटाया जाकर कब्जा वादी/मंदिर/ मूर्ति को/ कबीर द्वारा स्थान देह को सुपुर्द कराने के लिए प्रस्तुत किया था । प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । जिसकी पुष्टि दिनांक 25.6.2009 की आदेशिका से होती है। प्रकरण में दिनांक 19.6.2009 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदो 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी पी सी प्रस्तुत किया गया। जिसे बाद सुनवाई दिनांक 25.5.2010 को स्वीकार किया गया ।

13. प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रकरण में तनकियात कायम की जानी थी। परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गई । मूल वाद में चूंकि पक्षकारों के हक हितों का बाद सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत के अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम नहीं की गई एवं न ही प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना है।

14. दिनांक 25.5.2010 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया गया परन्तु प्रकरण में चारभुजा नामदेव छीपा समाज के ट्रस्ट के सदस्य अध्यक्ष बनवारी लाल, लादु लाल छीपा, व घीसु दास छीपा सचिव, को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया गया है।

15. प्रतिवादी संख्या 3 शांति लाल पिता चुन्नी लाल की मृत्यु होने की जानकारी होना दिनांक 13.5.2010 की आदेशिका से स्पष्ट है परन्तु शांति लाल के विधिक वारिसान/कायम मुकाम को रेकार्ड पर नहीं लिया गया है। जबकि अपीलार्थी/वादी द्वारा संशोधित टाईटल प्रस्तुत किया था। जबकि शांति लाल के विधिक वारिसान को प्रकरण में कायम मुकाम दर्ज किया जाकर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये था।

16. अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 6.4.2016 के अनुसार पत्रावली दिनांक 6.4.2016 को प्रस्तुत हुई परन्तु पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.7.2016 नियत की गई। परन्तु तारीख पेशी दिनांक 13.7.2016 से पूर्व ही प्रकरण को 30.6.2016 को केम्प कोर्ट हमीरगढ में रखा गया । जिसकी कोई विधिवत सूचना अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को नहीं दी गई एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से समर्थन नहीं किया जा सकता है।

17. न्यायालय हाजा में दर्ज अपील संख्या 289/2016 एवं अपील संख्या 284/2016 में चूंकि वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 2138, 2140, 2141, 2142, 2143 कबीरद्वारा स्थानदेह हमीरगढ के नाम दर्ज होने एवं अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकारान समान होने से दोनों ही पत्रावलियों को न्यायहित/राज्यहित में एकसाथ प्रतिप्रेषित किया जाना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उचित समझते हैं। जिससे अधिनस्थ न्यायालय का समय जाया नही होगा । अधिनस्थ न्यायालय दोनों ही पत्रावलियों को एकसाथ ही सुनवाई कर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

18. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में तनकियात कायम कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित करें। चूंकि मंदिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है तथा संरक्षक की स्थिति स्पष्ट नहीं है अतः विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य प्रकरण संख्या 42/2009 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में ग्राम हमीरगढ जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 2130 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 2140 रकबा 3 बिस्वा चाह, आराजी नम्बर 2141 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 2142 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं 2143 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षक हेतु कब्जा राज्यहित में तहसील सरकार रखा जाना उचित समझते हैं। अपीलाण्टगण द्वारा मंदिर मूर्ति का संरक्षक होने बाबत कोई साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण के लिए कोई अन्य संरक्षक होना भी प्रकट नहीं है। स्थानदेह कबीरद्वारा मंदिर मूर्ति की खातेदारी भूमि के विकास हेतु ट्रस्ट बनाने अथवा संरक्षक/पुजारी घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, अतः विधिवत रूप से संरक्षक घोषित होने अथवा खातेदारी अधिकार बाबत कोई निर्णय होने तक विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में तहसीलदार हमीरगढ को धारा 46 राजस्थान काश्तकारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनियम एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संरक्षक रखा जाकर मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु कब्जा राज्यहित में तहसील सरकार लिये जाने का निर्णय सुनाया जाता है । अपील आंशिक स्वीकार की जाकर इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को सुना जाकर गुणावगुण पर विस्तृत आदेश पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.8.19 को उपस्थित रहें।

19. निर्णय आज दिनांक 17.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

17/7/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा